न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना (राज.)

अधिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

...संख्याः 44/2024 दर्ज दिनांकः 20.11.2024

...सी.एम.एस. नः 2024/369 निर्णय दिनांकः

सुनिल कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयंपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः– 08/01/2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशंय का पेश किया है कि ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 274, 277, 354, 275, 588 अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुनिल कुमार पुत्र प्रभुदयाल के बजाय भोला/भोलाराम पुत्र प्रभु दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का यह गलत नाम सहवन से दर्ज किया गया। प्रार्थी का सही नाम सुनिल कुमार पुत्र प्रभुराम है।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 274, 277, 354, 275, 588 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम भोला/भोलाराम पुत्र प्रभु के बजाय सुनिल कुमार पुत्र प्रभुदयाल शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी से ज़बाब/तथ्यांत्मक जांच प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कि ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 274, 277, 354, 275, 588 अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि के राजंस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुनिल कुमार पुत्र प्रभुदयाल के बजाय भोला/भोलाराम पुत्र प्रभु दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का यह गलत नाम सहवन से दर्ज किया गया। प्रार्थी का सही नाम सुनिल कुमार पुत्र प्रभुराम है। अतः ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 274, 277, 354, 275, 588 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम भोला/भोलाराम पुत्र प्रभु के बजाय सुनिल कुमार पुत्र प्रभुदयाल शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि राज–हित के मध्यनजर निर्णय पारित किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि प्रार्थी ने अपना

CamScanner

/भोलाराम पुत्र प्रभु के बजाय सुनिल कुमार पुत्र प्रभुदयाल शुद्ध/दुरूस्त करवाने के लिए यह पत्र पेश किया है। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पत्र नगरपालिका पौंख, अंकतालिका एवं तथ्यात्मक जॉच्र रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी के वलोकन से जाहीर होता है कि प्रार्थी का सही नाम सुनिल कुमार पुत्र प्रभुदयाल है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 274, 277, 354, 275, 588 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम भोला/भोलाराम पुत्र प्रभु के बजाय सुनिल कुमार पुत्र प्रभुदयाल शुद्ध/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 08/01/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

CamScanner